योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
पुत्र / पुत्री शिक्षा सहायता	निर्माण श्रमिक की पुत्र / पुत्री की शिक्षा हेतु निम्नवत धनराशि	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण	निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के दौरान श्रमिक कार्ड, श्रमिक का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, बच्चों का आधार कार्ड, बच्चों की गत् वर्ष की
	वार्षिक दी जाती है :– कक्षा 1 से 5 तक रू0 1,800 / – कक्षा 6 से 10 तक रू0 2,400 / – कक्षा 11 से 12 तक रू0 3,000 / – स्नातक/ परास्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि रू0 10,000/- व्यावसायिक पाठ्यक्रम / कोर्स करने पर, जैसे आई0टी0आई0, पॉलटैक्निक, एवं उच्च शिक्षा हेतु कोर्स की फीस राजकीय संस्थाओं / कॉलेज के अनुसार देय होगी।	श्रमिक के 02 बच्चों हेतु। जिस वर्ष कक्षा 1 से परास्नातक तक की कक्षाओं में प्रवेश किया हो उसी वित्तीय वर्ष में माह नवम्बर से अगले शिक्षा सत्र (अग़ला वित्तीय वर्ष) के माह जून तक आवेदन करना होगा इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता वार्षिक आधार पर दी जाती है।	अंकतालिका की सत्यापित प्रति (कक्षा 01 के लिए आवश्यक नहीं), शैक्षिक संस्था द्वारा अध्ययनरत होने का प्रमाण–पत्र एवं स्वघोषणा पत्र। इस संबंध में किसी अन्य विभाग / सरकार से सहायता न ली हो, का प्रमाण–पत्र, संलग्न करना होता है। उसके उपरांत विभाग द्वारा जांच की जाती है, जांच में सही पाये जाने पर सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र हेतु आर्थिक सहायता एक बार में ही श्रमिक के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

PRESENTATION DEPARTMENT

7- कामगार के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का विवरण	देय आर्थिक सहायता
क.	कक्षा-I से कक्षा-5 तक	रु0 1800 वार्षिक।
ख.	कक्षा-6 से कक्षा-10 तक	रु0 2400 वार्षिक।
ग.	कक्षा-11 से कक्षा-12 तक	रु0 3000 वार्षिक।
घ.	स्नातक / परास्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि	रु0 10000 वार्षिक।
ङ.	ITI/Vocational courses at the rate of equivalent to annual fee of Govt Institute/College.	

शिक्षा हेतु देय आर्थिक सहायता निम्नांकित शर्तों के अधीन देय है:-

1. पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिक द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता संबंधी आवेदन-पत्र, जो वर्तमान शिक्षा सत्र से संबंधित हो तथा संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य / विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित हो, उस वित्तीय वर्ष में माह नवम्बर से अगले शिक्षा सत्र (अगला वित्तीय वर्ष) के माह जून तक संबंधित क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी की संस्तुति सहित सचिव, कल्याण बोर्ड के कार्यालय में उपलब्ध करा दिए जाए, इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
2. उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) नियमावली के नियम-29। के अनुसार शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता छः माही आधार पर दिये जाने का प्रावधान है। उक्त बिन्दु संख्या-1 के प्रभावी होने की स्थिति में देय आर्थिक सहायता की धनराशि सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पात्रता के अनुसार एक बार में ही उपलब्ध करा दी जाएगी।